1			2	3	4	5
9-	Madhya Pradesh			NIL		8-87
IO.	Maharashtra	3407-85		98383	2424-*0%*	94-8a
1 (.	Nagaland			NIL		
12.	Orissa .			NIL		0-50
'3-	Pondicherry			NIL		0-04
M.-	Punjab	*i,U-S2*		152-85	338-37	0-91
»5-	Rajasthan			NIL		4-04
16.	Tamil Nadu	155-63		78-45	77-18	o-33
i--	(i) U.p. (West)	1336-98		349-08	977-90"	3-23
	(ii) U.P- (Central)	603-O3		92-14	510-89	15.30
	(iii) U.P. (East)	It5'39			11529	312.88
	(tv) U.P. (T		2045-30	441-33	1604-08	331.41
18.	West Bengal .			NIL		1.86
	ALL IMJIA	8402-60		2637-94	5764- 66	1900.35

Notes: (i) This does not include information in respeet of 28 factories which have not furnished figures for 1904-55 season,

(a) As per the provision in the Sugarcane (Control) Order, 1966, the payment of canr price has to be made within 14 days of delivery *of cine. Thefigttrea* inco). 3 include amounts which have not yet become overdue, i. e. the price of cane purcho.se in the previous fortnight. 529- *Trans fined to the 24thjanvary,* 1905.]

जैन शुद्ध वनस्पति लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के विरुद्ध कार्यवाही

529. **श्री सोहन लाल धूसिया :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जैन शुद्ध वनस्पति लिमिटेड, नई दिल्ली के प्रबंध निदेशक ने 1982 से 1984 के वर्षों के दौरान चर्बी का आयात करके उसका इस्तेमाल वनस्पति में मिलावट करने के लिये किया था ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार उनके विरुद्ध किस अधिनियम के तहत कार्यवाही कर रही है और यदि अभी तक कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) मैसर्स जैन शुद्ध वनस्पति लि० ने आयात नियंत्रण आदेश, 1955 के खण्ड 3(1) का उल्लंघन करते हुए 21 अप्रैल, 1983 को 6714 मी० टन गाय की चर्बी आयात की थी। उक्त आदेश के तहत 17-2-1984 को इस एकक को 2 अगस्त, 1983 से मार्च, 1988 तक के लिए विवर्जित (डिबार्ड) कर दिया गया है। फर्म के विरुद्ध मामला चीफ मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, दिल्ली के न्यायालय में 12-12-1983 से लम्बित पड़ा है। तथापि, फर्म द्वारा वनस्पति घी

में पशु-चर्बी के अपमिश्रण का कोई प्रमाण नहीं मिल सका था ।

चर्बी के आयात में अन्तर्ग्रस्त विदेशी मुद्रा

530. **श्री सोहन लाल धूसिया :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स जैन शुद्ध वनस्पति, नई दिल्ली के प्रबन्ध निदेशक के बारे में जिसे 1982–83, 1983–84 के दौरान चर्बी आयात कांड के सिलसिले में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था, अभी भी कोई आशंकाएं विद्यमान हैं ; और

(ख) उपर्युक्त आयात में कितनी धनराशि की विदेशी मुद्रा अंतर्ग्रस्त है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) दिल्ली प्रशासन से सूचना मंगाई जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) मैसर्स जैन शुद्ध वनस्पति लि० ने 25,000 मी० टन गाय की चर्बी आयात करने के लिए सिंगापुर स्थित एक फर्म के नाम न्यू बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली में 12246250 अमरीकी डालरों का एक साख पत्र खोला था ।

कृषि संस्थानों में कृषि वैज्ञानिकों को बढ़ावा

531. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् और अन्य संस्थानों में विभिन्न पदों के लिये कितने वैज्ञानिकों ने आवेदन-पत्र भेजे और उस अवधि के दौरान कितने वैज्ञानिकों को नियुक्तियां दी गयीं ;

(ख) क्या यह सच है कि कृषि वैज्ञानिक इन संस्थानों के प्रति आकर्षित नहीं होते और विभिन्न वैज्ञानिक पदों के लिये आवेदकों की संख्या घटती जा रही है, यदि हां, तो उसके क्या कारण है ; और

(ग) कृषि संस्थाओं में वैज्ञानिकों को आकर्षित करने और उन्हें कृषि के क्षेत्र में विशिष्ट अनुसंधान करने के लिये बढ़ावा देने हेतु सरकार की क्या आकर्षक योजना है ।

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् तथा उसके संस्थानों में पिछले तीन वर्षों यानी 1982, 1983 और 1984 के दौरान विज्ञापित विभिन्न वैज्ञानिक पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यार्थियों की संख्या और उन पदों के लिए चुने गये प्रार्थियों को भेजे गये नियुक्ति पत्रों का विवरण निम्न प्रकार है :—

विज्ञापित पदों की संख्या	अभ्यार्थियों की संख्या	भेजे गये नियुक्ति पत्रों की संख्या
342	11,560	535

(ख) परिषद् में विभिन्न वैज्ञानिक पदों की अनुक्रिया उत्साहजनक थी लेकिन भरती प्रक्रिया में काफी संख्या में प्रार्थी की योग्यता पद के अनुरूप नहीं पाई गई ।

(ग) परिषद् तथा उसके संस्थानों में विभिन्न वैज्ञानिक पदों पर अर्हता प्राप्त और अनुभवी कृषि वैज्ञानिकों को तैनात करने के लिए उन्हें आकर्षित करने हेतु कृषि अनुसंधान सेवा के नियमों में व्यवस्था की गई है । इस सेवा के अन्तर्गत सक्षम वैज्ञानिकों को पदोन्नत करने के लिए